भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 948

26 जुलाई, 2023 के लिए प्रश्न

खुला बाजार बिक्री योजना के अंतर्गत चावल की बिक्री

948. श्रीमती मंजुलता मंडल:

डॉ. टी.आर. पारिवेन्धर:

डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:

श्री जी. सेल्वम:

श्री धनुष एम. कुमार:

श्री सी.एन. अन्नादुरई:

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:

श्री कुलदीप राय शर्मा:

डॉ. सुभाष रामराव भामरे:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को खुला बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के अंतर्गत केन्द्रीय पूल से खाद्याननों की बिक्री बंद कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के इस कदम ने राज्य सरकारों द्वारा गरीबों को खाद्यान्न वितरित करना प्रभावित किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार के साथ इस मामले को उठाया है;

(ड.) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या सरकार ओएमएसएस के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार चावल का परिसमापन केन्द्रीय पूल स्टॉक से निजी पार्टियों को देने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा खुले बाजार में अनाज की कीमतों में वृद्धि न हो और लोगों को यह संवहनीय कीमतों पर मिलना सुनिश्चित करने के लिए अन्य कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

.....2/-

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) और (ख): भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार, एल-नीनो की वजह से होने वाली वर्षा में प्रत्याशित कमी के कारण देश में खरीफ फसल के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, और देश की समग्र जनसंख्या के हित के लिए, मुद्रास्फीति के रुझानों को नियंत्रित करने तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) के अंतर्गत वितरण हेतु केन्द्रीय पूल के तहत पर्याप्त स्टॉक स्तर को बनाए रखने के प्रयोजन से, तमिलनाडु सहित राज्य सरकारों के लिए खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) [ओएमएसएस (डी)] के अंतर्गत दिनांक 13.06.2023 से गेहूं और चावल की बिक्री बंद कर दी गई है।

(ग) से (ड.): कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की राज्य सरकारों ने ओएमएसएस (डी) नीति के तहत गेहूं और चावल के लिए अनुरोध किया था जिसे ओएमएसएस (डी) 2023 के अंतर्गत राज्यों को गेहूं और चावल की बिक्री रोक दिये जाने के कारण स्वीकार नहीं किया गया था।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत, लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार दिसंबर, 2023 तक निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान किया जा रहा है।

(च): भारत सरकार ने ओएमएसएस (डी) 2023 के तहत केन्द्रीय पूल स्टॉक से 10 लाख टन चावल के उठान का निर्णय लिया है ताकि बाजार मूल्यों को नियंत्रित किया जा सके।

(छ): आवश्यक खाद्य वस्तुओं की घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने और मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए सरकार ने समय-समय पर विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, मूल्यों को कम करने के लिए बफर स्टॉक से ओएमएसएस (डी) के अंतर्गत गेहूं और चावल के निर्गम (रिलीज़), गेहूं के स्टॉक की सीमा को लागू करना, जमाखोरी को रोकने के लिए इकाईयों द्वारा घोषित किए गए स्टॉक की मॉनीटरिंग और खाद्य वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध शामिल है।

******